तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
19/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थिया के बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तामील जारी हो। पालना ज्ञात होने पर इन्द्राज फैसला की जावे। पत्रावली निर्णित होकर दाखिल दफ्तर रखा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 62/2022

प्रार्थीगण :–

1. वना पुत्र चैना
2. गुणा पुत्र चैना
3. पीकरा पुत्र चैना
4. बांका पुत्र चैना
   जाति नाई निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ठाकराराम पुत्र वेहना
2. नवलाराम पुत्र गोदूराम
3. मीरादेवी पत्नी गोदूराम
4. रेखाराम पुत्र गोदूराम
5. वागाराम पुत्र वेहना
6. हुकमाराम पुत्र वेहना
   जाति जाट निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.07.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2071–2074 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत [illegible] 192, 465/188 रकबा क्रमशः 1.3355, 3.7231 [illegible] जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। [illegible] के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृ[illegible] पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी